(68)

# संगीत-विभाग

## बैठक (सत्र 2025-26)

आज दिनांक 17/07/2025 को संगीत विभाग में संगीत विषय के अध्ययन मंडल की बैठक की विभागीय कक्ष में आयोजित की गयी जिसकी अध्यक्षता विभागाध्यक्ष द्वारा की गयी। बैठक में निम्नांकित सदस्य गण उपस्थित रहे।

1. डॉ. लोकेश कुमार त्रिपाठी (विभागाध्यक्ष एवं अध्यक्ष अध्ययन मंडल) — [हस्ताक्षर]
2. डॉ. सरिता पाठक — सदस्य [हस्ताक्षर]
3. प्रो० रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी — सदस्य [हस्ताक्षर]
4. प्रो० सतेन्द्र पटेल — सदस्य [हस्ताक्षर]
5. प्रो० नित्यानंद चौधरी — सदस्य [हस्ताक्षर]

बाह्य-विशेषज्ञ :-

1. डॉ. अखिलेश सप्रे — सेवानिवृत्त प्राध्यापक — (माधवकॉलेज-जबलपुर) (Online)
2. डॉ. संतोष पाठक — एसो० प्राध्यापक — (वनस्थली विद्यापीठ राज० (Online) सम्मिलित हुये)

कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य-

1. डॉ. मनोज मिश्रा — ऑन लाइन सम्मिलित हुये। [हस्ताक्षर]

व्यवसायिक प्रतिनिधि :-

1. श्री राजेश कुशवाहा — ऑन लाइन सम्मिलित हुये। [हस्ताक्षर]

छात्र प्रतिनिधि :-

1. शिवम् साकेत — M.A. IV Sem — शिवम

(62)

उक्त बैठक में सर्व सम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये।

① स्नातक स्तर पर संगीत (गायन + वादन) एवं तबला विषय के नवीन अध्यादेश 14-1 के अनुसार केन्द्रीय अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम (म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग) की मंशानुसार अंगीकृत करने का निर्णय सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा किया गया। बी०ए० प्रथमवर्ष (I sem) में 01 (मेजर) कोर्स (प्रश्नपत्र) 01 माइनर एवं 01 (M.D) (Multi Desciplinary) प्रश्नपत्र लागू होगें इसी तरह बी०ए० प्रथमवर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) में 02 प्रश्नपत्र मेजर कोर्स (मेजर), 01 माइनर ; के प्रश्नपत्र चलेंगे। उक्त पाठ्यक्रम में शास्त्रीय परम्परा को पर्याप्त स्थान दिया गया है। जिसकी सभी सदस्यों ने भूरि-2 प्रशंसा की।

② स्नातकोत्तर स्तर पर म.प्र. शासन (उच्चशिक्षाविभाग) द्वारा नवीन पाठ्यक्रम की संरचना एवं निर्देश प्राप्त होने तक पूर्व में संचालित पाठ्यक्रम को ही जारी रखने की अनुशंसा सभी सदस्यों द्वारा की गयी।

③ स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त पाठ्यक्रमानुसार पाठ्यक्रम संचालित किया जाये। ऐसा विचार सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये।

अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

प्राचार्य
शा०टी०आर०एस०महावि०
रीवा (म०प्र०)

GOVT. THAKUR RANMAT SINGH COLLEGE REWA Autonomous Cell

अनुमोदित
30/7/2025